बिहार सरकार
<u>उद्योग विभाग</u>

~~fucafl~~ पत्रांक.......................   पटना, दिनांक........................

5/स0 अपील (बी0आर0 ईरीगेशन)–38/2016

प्रेषक,

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री बी0 आर0 ईरीगेशन सिस्टम,
ग्रोथ सेन्टर, मरंगा, भागलपुर
द्वारा श्री राजीव रंजन
पुत्र–श्री आर0 पी0 चौधरी,
निवास– ऑफिसर कॉलोनी,
मिरचाई बाड़ी, कटिहार, बिहार।

विषयः–   दायर अपीलवादसं0– 38/2016 ~~की~~ में पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक (सर्वश्री बी0 आर0 ईरीगेशन सिस्टम) 38/2016 बनाम बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदोश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–

विश्वासभाजन,

ह0/–
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक....2812....   दिनांक....03.07.18....

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को ~~अपील~~ पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/~~आई0टी0~~ मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

3/7/18

E:\OLD DATA\drive d\Appealvad 2.doc

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 38/2016

सर्वश्री बी0 आर0 एरीगेशन सिस्टम, औद्योगिक विकास केन्द्र, मंरगा

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

23.05.2018

2/6/2018

प्रश्नगत अपील सर्वश्री बी0 आर0 एरीगेशन सिस्टम, औद्योगिक विकास केन्द्र, मंरगा, द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 461/डी0 दिनांक 01.07.2016 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थापित है। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में पत्रांक 1018/डी0 दिनांक 12.07.13 द्वारा 6,720 वर्गफीट भूमि HDPE PIPE के उद्योग स्थापना हेतु भू–खंड सं0– 69(P) आवंटित किया गया था। उन्होंने दिनांक 16.10.14 के द्वारा बकाया राशि का भुगतान करते हुए शीघ्र ही आवंटित भूमि पर असैनिक निर्माण कार्य पूरा करने हेतु पत्र दिया गया। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 461/डी0 दिनांक 01.07.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सर्वश्री बी0 आर0 एरीगेशन सिस्टम, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में पत्रांक 1018/डी0 दिनांक 12.07.13 द्वारा 6,720 वर्गफीट भूमि HDPE PIPE के उद्योग स्थापना हेतु भू–खंड सं0– 69(P) आवंटित किया गया था। स्थल पर औद्योगिक गतिविधि नहीं करने के फलस्वरूप इकाई को बकाया राशि हेतु पत्रांक 1055/डी0 दिनांक 29.09.14 के द्वारा नोटिस दिया गया। इकाई द्वारा दिनांक 16.10.14 से बकाया राशि का भुगतान करते हुए शीघ्र असैनिक कार्य कार्य पूरा करने का पत्र दिया गया। परन्तु असैनिक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। स्थल पर औद्योगिक गतिविधि नहीं करने के फलस्वरूप इकाई को पत्रांक 235/डी0 दिनांक 09.03.16 के द्वारा अंतिम नोटिस दिया गया। भू– आवंटन के लगभग 02 वर्ष 09 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उद्यमी द्वारा उद्योग को स्थापित नहीं किया गया। अंत में आदेश ज्ञापांक 461/डी0 दिनांक 01.07.2016 द्वारा आवंटित भू–खंड को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है 'बियाडा' द्वारा सर्वश्री बी0 आर0 एरीगेशन सिस्टम, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में पत्रांक 1018/डी0 दिनांक 12.07.13 द्वारा 6,720 वर्गफीट भूमि HDPE PIPE के उद्योग स्थापना हेतु भू–खंड सं0– 69(P) आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा औद्योगिक उत्पादन हेतु संबंधित बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इकाई द्वारा भूमि आवंटन के लम्बी अवधि के बाद भी उद्योग स्थापना के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा उद्योग स्थापना हेतु समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी निबंधित उत्पाद का

उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाना भूमि आवंटन आदेश में निहित शर्तों का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता भूमि पर अन्य उद्देश्य के लिए मात्र कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। साक्ष्यों के आलोक में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 461/डी0 दिनांक 01.07.2016 अनुकूल है।

तद्नुसार प्रश्नगत अपीलीय आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/6/2018

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/6/2018

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Osd leater 1